



2026:AHC:8038

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 230 वर्ष 2026

अवनीश कुमार राय

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	कैलाश प्रकाश पांडेय
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रकाश पांडे और राज्य-प्रतिवादी गणों की ओर से उपस्थित श्री विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 18.06.2006 को कांस्टेबल, वर्ष 2022 में हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। हालाँकि, जबकि रिट याचिकाकर्ता वाराणसी में तैनात था, पुलिस उप महानिरीक्षक (कर्मिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा 15.06.2025 को रिट याचिकाकर्ता को वाराणसी से प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया गया, हालांकि, सेवा से कार्य मुक्ति का आदेश 10.11.2025 को पारित किया गया। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता को स्थानांतरित/कार्यमुक्त नहीं की जानी चाहिए थी, विशेष रूप से, जिसमें दिनांक 06.05.2025 के शासकीय आदेश के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त करना बनता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 17.10.2025 को एक परिपत्र जारी किया गया है। इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिसमें 14.05.2024 को निर्णित की गई विशेष अपील संख्या 481 वर्ष 2024 भी शामिल है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान याचिका में स्थानांतरण करने और सेवा से कार्य मुक्ति के आदेश को अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता उक्त स्थिति पर विवाद नहीं कर सके, उनके अनुसार, शासकीय आदेश और परिपत्र प्रतिवादी गणों के लिए बाध्यकारी हैं। वह प्रस्तुत करता है कि रिट याचिकाकर्ता को उसके स्थानांतरण के दिनांक से लेकर सेवा से कार्य मुक्ति मिलने तक बनाए रखने में कोई असाधारण कारण निर्धारित नहीं हैं। वह प्रस्तुत करता है कि आदेश को अपास्त कर दिया जाए।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का सावधानी से परिशीलन किया है
6. जाहिर है, स्थानांतरण आदेश 15.06.2025 को पारित किया गया था और रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 10.11.2025 के एक सेवा से कार्य मुक्ति के आदेश को सदाचार के आधार पर राहत दी गई थी। एक बार जब प्रतिवादी गणों के परिपत्र होते हैं कि कार्यमुक्त 7 दिनों की अवधि के भीतर की जानी है, तो याचिकाकर्ता को उस संबंध में अनुमति के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, यह मुद्दा अब अनिर्णीत मामला नहीं रह गया है क्योंकि 14.05.2024 को निर्णित की गई विशेष अनुमति संख्या 481 वर्ष 2024 में यही निर्णय लिया गया है।
7. तदनुसार, रिट याचिका **स्वीकृत** की जाती है।
8. प्रतिवादी संख्या 2 पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 15.6.2025 के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश और प्रतिवादी संख्या 3 पुलिस आयुक्त, वाराणसी द्वारा पारित दिनांक 10.11.2025 के पारिणामिक आदेश को इस हद तक अभिखंडित कर दिया जाता है जिससे कि यह रिट याचिकाकर्ता से संबंधित रहे।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

आदेश दिनांक: 13 जनवरी 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।